## कार्यालय—वाहन नीलामी समिति, जिला न्यायालय सिगरौली जिला सिंगरौली म0प्र0

### ।। वाहन नीलामी विज्ञप्ति।।

एतदद्वारा सर्वसाधरण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायायल सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न के अनुपयोगी घोषित शासकीय वाहन कमांक MP02-HC-2015 एवं MP02-HC-2016 का विकय खुली नीलामी के माध्यम से किया जाना है।

अतः इस नीलामी/विकय की शर्तो के अधीन जो संस्था या व्यक्ति, शासकीय वाहन कमांक MP02-HC-2015 को कय करना चाहता है, वह **दिनांक 28.09.2024 प्रातः 11 बजे** जिला न्यायालय परिसर वैढ़न जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश में आयोजित खुली नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी/विकय से संबंधित अन्य जानकारी अथवा वाहन का भौतिक अवलोकन जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, वैढ़न जिला सिंगरौली में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर, किया जा सकता है।

नीलामी/विकय की शर्ते मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की आधिकारिक वेबसाइड WWW.MPhc.gov.in एवं WWW.singrauli.dcourts.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश<br>
जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न (म0प्र0)

## //वाहन नीलामी/विकय की शर्ते//

1. शासकीय वाहन कमांक MP02-HC-2015 का अपलेखन मूल्य राशि रूपये 79,000/— रु. एवं वाहन कमांक MP02-HC-2016 का अपलेखन मूल्य राशि रूपये 73,500/— निर्धारित है।

2. वाहन को विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से नीलामी दिनांक 28.09.2024 से एक दिन पहले तक देखा जा सकता है। वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलामी/विकय किया जायेगा।

3. वाहन के परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का भाडा आदि देय नहीं होगा।

4. उक्त अनुपोयोगी/अपलेखित शासकीय वाहनों की नीलामी में लेने/बोली लगाने हेतु दोनो शासकीय वाहनों हेतु पृथक–पृथक अमानत राशि रूपये 5,000/— मात्र ( रूपये पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली के नाम से देय नजारत अनुविभाग में नीलामी दिनांक 28.09.2024 के एक दिन पूर्व तक जमा करना होगा।

5. स्वीकृत बोलीकर्ता द्वारा अमानत के रूप में अग्रिम जमा राशि समायोजित की जा सकेगी एवं असफल बोलीकर्ता की राशि वापस की जावेगी। बोलीकर्ता द्वारा स्वयं का वैधानिक पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।

6. बोली स्वीकृति आदेश जारी होने के 07 दिवस के अंदर बोलीकर्ता को स्वीकृत बोली की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नियमानुसार चालान के माध्यम से शासन हित में जमा कराना होगा विकयशुदा वाहन स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जा सकेगी।

7. बोली अंतिम रूप से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सिंगरौली द्वारा स्वीकृत की जावेगी। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सिंगरौली को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दें।

8. वाहन नीलामी के संबंध में, विवाद के संबंध मे वाहन नीलामी हेतु गठित नीलामी समिति का निर्णय समस्त बोलीकर्ताओं पर बंधनकारी होगा। वाहन नीलामी हेतु गठित, नीलामी समिति, जिला न्यायालय सिंगरौली को नीलामी/विकय की शर्तो में बदलाव करने का, शर्तो को आंशिक रूप से निरस्त अथवा पूर्णरूप से निरस्त करने का अधिकार होगा।

9. नीलामी/विकय शुदा वाहन का नीलामी में विकय किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र नीलामी समिति, जिला न्यायालय वैढ़न द्वारा जारी किया जावेगा। इस प्रकार का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के उपरांत वाहन को यथास्थिति में स्वयं के व्यय पर जिला न्यायालय परिसर मुख्यालय बैढ़न से ले जाना होगा। बिलंव की स्थिति में दैनिक आधार पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिंगरौली द्वारा निर्धारित स्थल भाटक अदा करना होगा।

10. नीलामी/विकय की कार्यवाही में बोली लगाने हेतु भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं के संदर्भ में यह माना/समझा जावेगा कि उन्हें नीलामी/विकय की समस्त शर्ते स्वीकार है।

11. सफल बोलीकर्ता द्वारा वाहन के नामांतरण, टैक्स जमा करना, बीमा करना आदि समस्त कार्यवाही स्वयं करना होगी, जिनका व्यय भार भी स्वयं वहन करना होगा। इस संबंध में कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

12. वाहन प्राप्ति के समय वाहन की वर्तमान नम्बर प्लेट नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय वैढ़न में जमा की जावेगी।

13. वाहन के संबंध में पूछताछ हेतु जिला नाजिर, नजारत अनुविभाग, मुख्यालय बैढ़न जिला न्यायालय सिंगरौली से मोबाई नम्बर 9424375885 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न (म0प्र0)